भादूविप्रा
TRAI

प्रेस के लिए सूचना नोट

(प्रेस विज्ञप्ति सं. 26 / 2026)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

नई दिल्ली, 25 फरवरी 2026 तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने समावेशी टीवी एक्सेस और नेटवर्क स्लाइसिंग पर उच्च-स्तरीय विचार-विमर्श के साथ स्थापना दिवस 2026 मनाया

या

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने स्थापना दिवस मनाया, जो कि 1997 से अब तक की विनियामक यात्रा को प्रतिबिंबित करता है

20 फरवरी को 1997 में ट्राई की स्थापना के 29 साल पूरे होने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज ट्राई डे 2026 मनाया। इस अवसर पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद् तथा प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ उपस्थित रहे और इन्होने भारत के डिजिटल संचार परिदृश्य को आकार देने वाले उभरते मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

यह उत्सव विगत वर्षों में दूरसंचार और प्रसारण परिदृश्य को आकार देने में भादूविप्रा द्वारा किए गए शानदार कार्यों का संयुक्त प्रतिबिंब है। दो विषयों पर तकनीकी चर्चा भी हुई " टेकिंग टीवी टू आल होम्स: पालिसी टेक्नॉलॉजी एंड बिजनेस स्ट्रैटजीज फॉर इंक्ल्यूजन" तथा "नैटवर्क स्लाइसिंग एंड नेट न्यूट्रियालिटी"। कार्यक्रम की शुरुआत श्री अनिल कुमार लाहोटी, अध्यक्ष, भादूविप्रा द्वारा दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई जिसमें श्री ऋतु रंजन मित्तर, सदस्य(एम), डॉ. एम.पी. तंगिराला, सदस्य(टी) और प्रो. रंजन बोस, सदस्य (अंशकालिक) उपस्थित रहे।

स्वागत भाषण देते हुए, भादूविप्रा के सचिव श्री अतुल कुमार चौधरी ने भारत के प्रतिस्पर्धी दूरसंचार बाजार में परिवर्तन के दौरान 1997 में प्राधिकरण की स्थापना को याद किया और निष्पक्षता, व्यवस्थित विकास और उपभोक्ता हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में एक स्वतंत्र विनियामक की महत्वता पर प्रकाश डाला। उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में व्यापक रूप से सुलभ माध्यम के रूप में टेलीविजन की निरंतर प्रासंगिकता को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि प्रसारण के लिए सार्वभौमिक पहुँच सामाजिक समावेश का अभिन्न अंग है। उन्होंने नेटवर्क स्लाइसिंग सहित दूरसंचार प्रौद्योगिकियों के तेजी से विकास का भी उल्लेख किया और खुलेपन को बनाए रखने और नेट न्यूट्रियालिटी के सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया क्योंकि इनमें उन्नत क्षमताओं का प्रयोग किया गया है।

प्राधिकरण के सदस्यों ने भादूविप्रा के विकसित होते विनियामक दर्शन और भारत के संचार पारिस्थितिकी तंत्र को क्रमिक तकनीकी परिवर्तनों के माध्यम से निर्देशित करने में इसकी संस्थागत भूमिका पर भी विचार-विमर्श किया।

सदस्य (एम) श्री रितु रंजन मित्तर ने दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और निवेश को बनाए रखने में बाजार आधारित विनियामक ढांचे के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पारदर्शी परामर्श प्रक्रियाएं, टैरिफ युक्तिकरण, स्पेक्ट्रम दक्षता और नवाचार को बढ़ावा देने, दीर्घकालिक क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए सामर्थ्य बनाए रखने के लिए केंद्रीय भूमिका में रही हैं। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे नेटवर्क अधिक डेटा-इंटैसिव और सर्विस ओरिएंटेड होते जाएंगे, विनियामक सक्रियता और पूर्वानुमेयता निवेशकों के विश्वास और उपभोक्ता कल्याण को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होगी।

डॉ. एम.पी. तंगिराला, सदस्य (टी) ने विनियमन के तकनीकी आयामों को रेखांकित किया, विशेष रूप से नैक्स्ट जनरेशन नेटवर्क, ए.आई.-इनेबिल्ड सिस्टम और एडवांस स्पेक्ट्रम उपयोग के संदर्भ में। उन्होंने जोर देकर कहा कि विनियामक ढांचे को तकनीकी नवाचार के साथ मिलकर विकसित होना चाहिए, विशेष रूप से नेटवर्क स्लाइसिंग, सेवा की गुणवत्ता (क्यू.ओ.एस.), इंटरपोर्टेबिलिटी और डिजिटल इंफ्रास्क्टचर के लचीलेपन जैसे क्षेत्रों में। उन्होंने दोहराया कि मजबूत और

भादूविप्रा
TRAI

सुरक्षित संचार नेटवर्क सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी मानकीकरण, साक्ष्य-आधारित नियमन और डेटा-ड्रिवेन ओवरसाइट महत्वपूर्ण है।

प्रो. रंजन बोस, सदस्य (अंशकालिक) एक अकादमिक और शोध परिप्रेक्ष्य विचार-विमर्श के लिए लाये। उन्होंने नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने में विनियामकों, शिक्षाविदों और उद्योग के बीच संस्थागत सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 6G अनुसंधान और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए अंतर्विषयक सोच और दूरदर्शी विनियामक डिजाइन की आवश्यकता होती है। उन्होंने यह भी कहा कि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, प्रायोगिक पहल और अनुसंधान साझेदारी जनहित की रक्षा करते हुए नए मॉडलों का परीक्षण करने के लिए कारगर साधन के रूप में काम कर सकते हैं।

श्री नीलकंठ मिश्र, सदस्य (अंशकालिक) ने भारत की विकास यात्रा में दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों के व्यापक आर्थिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि डिजिटल अवसंरचना आज उत्पादकता वृद्धि, वित्तीय समावेशन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि अनुमान योग्य और विश्वसनीय विनियमन, नेटवर्क विस्तार, फाइबर परिनियोजन और उभरती प्रौद्योगिकियों में दीर्घकालिक पूंजी को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्तीय मजबूती के साथ नवाचार को संतुलित करने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा कि विनियामक स्पष्टता, दक्ष पूंजी आवंटन और प्रतिस्पर्धी तटस्थता, इस क्षेत्र को एक अग्रणी डिजिटल इकनॉमी बनने की भारत की महत्वाकांक्षा को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने एआई-ड्रिवेन नेटवर्क, सेटेलाइट ब्रॉडबैंड और नैक्स्ट जनरेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी नई तकनीकों के आर्थिक प्रभावों का आकलन करने में विनियामक दूरदर्शिता की आवश्यकता को भी रेखांकित किया।

अपने उद्घाटन भाषण में भादूविप्रा के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लाहोटी ने भारत के दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों में समान अवसर और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने वाले एक विनियामक संस्थान के रूप में प्राधिकरण की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे आज कनेक्टिविटी फिक्स्ड लाइन, मोबाइल, ऑप्टिकल फाइबर और सैटेलाइट नेटवर्क तक फैली हुई है, जो पूरे देश में संचार सेवाओं को सक्षम बनाती है। इस क्षेत्र के विकास के अगले चरण पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G और भविष्य के 6G नेटवर्क जैसी प्रौद्योगिकियां नेटवर्क वास्तुकला और सर्विस डिलीवरी को फिर से परिभाषित कर रही हैं"। जैसे-जैसे ये प्रणालियाँ विकसित हो रही हैं, यह आवश्यक हो गया है कि हमारे विनियम ढांचा-अनुकूलनशील और पारदर्शी रहें, निष्पक्षता, जवाबदेही और नवाचार को सक्षम करते हुए उपभोक्ता हित की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत नई तकनीकी सीमाओं के मुहाने पर खड़ा है, ऐसे में संतुलित और दूरदर्शी नियमन समावेशी डिजिटल विकास को लगातार समर्थन प्रदान करेगा।

उद्घाटन सत्र के दौरान माननीय दूरसंचार मंत्री (एम.ओ.सी.) श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया का वीडियो सन्देश साझा किया गया। अपने संबोधन में, उन्होंने भादूविप्रा को उसके 29वें स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी और भारत के दूरसंचार ईकोसिस्टम में निष्पक्षता, समानता और समान अवसर सुनिश्चित करने वाले एक बुनियादी संस्थान के रूप में प्राधिकरण की भूमिका को रेखांकित किया।

4G से 5G में तेजी से विकास, 6G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगमन पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, "जैसे-जैसे नई तकनीक दूरसंचार सेवा परिदृश्य को फिर से परिभाषित करती हैं, यह आवश्यक हो जाता है कि हम निष्पक्षता, पारदर्शिता और जनता हित को बनाए रखते हुए नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सही विनियामक सुरक्षा उपायों को लागू करें।" उन्होंने इस बात की भी सराहना की कि आज के तकनीकी विमर्श में नेटवर्क स्लाइसिंग को भी विचार-विमर्श के लिए शामिल किया गया है।

उद्घाटन सत्र का समापन श्री अशोक कुमार झा, प्रधान सलाहकार (प्रसारण और केबल सेवाएँ), भादूविप्रा द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

पहला तकनीकी सत्र, " टेकिंग टीवी टू आल होम्स: पालिसी टेक्नॉलॉजी एंड बिजनेस स्ट्रैटजीज फॉर इंक्ल्यूजन, का संचालन श्री अशोक कुमार झा, प्रधान सलाहकार (बी एंड सी.एस.), भादूविप्रा ने किया।

भादूविप्रा
TRAI

सत्र में टेलीविजन की पहुंच बढ़ाने, अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने और विशेष रूप से ग्रामीण और कम सेवा वाले क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन को पाटने की रणनीतियों पर चर्चा की गई।

वक्ताओं में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अपर सचिव श्री प्रभात, केसीसीएल के सीईओ श्री पद्म कुमार और आईआईएम अहमदाबाद के प्रो.विश्वनाथ पिंगली शामिल थे। विचार-विमर्श ने व्यापक रूप से सुलभ माध्यम के रूप में प्रसारण की निरंतर प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला और सार्वभौमिक सेवा वितरण के लिए आवश्यक नीति और प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों पर चर्चा की । किफायती और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए नेटवर्क की पहुंच को फैलाने के लिए सतत व्यापार मॉडल पर भी चर्चा की गई।

श्री अखिलेश त्रिवेदी, सलाहकार (एनएसएल-II), भादूविप्रा द्वारा संचालित दूसरा सत्र, "नेटवर्क स्लाइसिंग एंड नेट न्यूट्रैलिटी", एक खुले और गैर-भेदभावपूर्ण इंटरनेट के सिद्धांतों के साथ नेटवर्क स्लाइसिंग के विनियामक और तकनीकी आयामों पर केंद्रित था। वक्ताओं में श्री यू. के. श्रीवास्तव, चेयरमैन, रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड, श्री उमंग जिन्दल, एरिक्सन और श्री अनिल टंडन, ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम शामिल थे। विचार-विमर्श में उन्नत नेटवर्कों में अलग-अलग सेवा प्रावधान और विकसित नेटवर्क संरचनाओं पर चर्चा की गई। इसमें उपभोक्ता अधिकारों और डिजिटल सेवाओं तक समान पहुँच के साथ नवाचार को संतुलित करने की आवश्यकता को भी प्रकाश डाला गया।

विचार-विमर्श में नीति निर्माताओं, उद्योग प्रतिनिधियों और शिक्षाविदों की सक्रिय सहभागिता देखी गई, जो उत्तरदायी और संतुलित नियमन को आकार देने में हितधारक परामर्श के महत्व को मजबूत करती है। ट्राई डे 2026 ने समावेशी विकास को बढ़ावा देने, उपभोक्ता हितों की सुरक्षित रखने, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और भारत में लचीली, सुरक्षित और भविष्य के लिए तैयार दूरसंचार और प्रसारण सेवाओं का समर्थन करने के लिए प्राधिकरण की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

अधिक जानकारी अथवा स्पष्टीकरण के लिए, कृपया डॉ. दीपाली शर्मा, सलाहकार (प्रसारण और केबल सेवाएँ (बीएंडसीएस), ट्राई से advbcs-2@trai.gov.in पर संपर्क करें।

For further information or clarifications, please contact Dr. Deepali Sharma, Advisor (Broadcasting and Cable Services (B&CS), TRAI, at advbcs-2@trai.gov.in.

अतुल चौधरी
(अतुल कुमार चौधरी) 25/2/26
सचिव

आधिकारिक जानकारी के लिए ट्राई को फोलो करें:
X (पूर्व में ट्विटर / formerly Twitter) - @TRAI
फेसबुक Facebook - @TRAI
इंस्टाग्राम Instagram - @trai.official
लिंक्डिन LinkedIn - @trai-official
यूट्यूब YouTube - @TelecomRegulatoryAuthorityofIndia
वेबसाईट Website - trai.gov.in